न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–3, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्याः– 362 सन् 2016
राज्य प्रति रामसरन द्विवेदी आदि।

आरोप

मैं, मनराज सिंह अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–3, फतेहपुर।

आप अभियुक्तगण –

1. राम सरन द्विवेदी उर्फ रामशरण।
2. जयकरन।

पर निम्न आरोप लगाता हूँ :–

प्रथम– यह कि दिनॉक 05.04.2016 को समय 19.05बजे स्थान दरवाजा रामसरन ठकुराइन गली कस्वा व थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर में वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष ने मय हमराहीगण के मुखबिर खास की सूचना पर आप लोगों के कब्जे से मास्टर चाबी दो अदद, मोबाइल चार्जर 22 अदद, चार्ज कनेक्सर 35 अदद, मोबाइल लीड 13 अदद मोबाइल वाहन चार्जर 05 अदद, मोबाइल फोन 45अदद, मोबाइल बैट्री 54 अदद एवं एक मोटर साइकिल यूपी 78 डीयू 7555 पैशनप्रो बरामद किये गये है जिन्हें आप लोगों द्वारा चोरी का जानते हुए अपने पास रखा गया था जिनके संबंध में आप द्वारा कोई अधिकार पत्र नहीं दिखाया जा सका है। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा–411 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों को वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष ने मय हमराहीगण के द्वारा आप लोगों के कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल यूपी 78 डीयू 7555 पैशनप्रो बरामद बरामद की गयी है जिसके संबंध में कोई भी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार आप लोगों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/207 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

एतद् द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आप का विचारण इस न्यायालय के द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 13.07.2017

(मनराज सिंह)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3,
फतेहपुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे उसने इंकार करते हुए अपने विचारण की याचना को किया।

दिनांकः 13.07.2017

(मनराज सिंह)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3,
फतेहपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–3, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्याः– 362 सन् 2016
राज्य प्रति रामसरन द्विवेदी आदि।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांकः 13.07.2017</u>

पुकार लगायी गयी।

अभियुक्तगण रामसरन द्विवेदी उर्फ राम शरण व जय करन मय अधिवक्ता उपस्थित आया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, न्यायालय में उपस्थित हैं।

आरोप के प्रश्न पर सुना गया।

पत्रावली पर आरोप सृजित किए जाने सम्बन्धी मूल विलेख चिक प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं केस डायरी आदि प्रपत्रों का अवलोकन किया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 41/411 भा0दं0सं0 एवं 3/207 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप बिरचित किया जा रहा है।

दिनांकः 13.07.2017

(मनराज सिंह)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3,
फतेहपुर।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। उसे आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचार की याचना की।

अभियोजन को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह दिनांक 11.08.2017 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक 11.08.2017 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

दिनांकः 13.07.2017

(मनराज सिंह)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3,
फतेहपुर।